

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय वमानपत्तन प्राधकरण,
उत्तरी पश्चिमी पूर्वी ऋक्षणी पूर्वोत्तर क्षेत्र
दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई गुवाहाटी
वमानपत्तन निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्राधकरण
कोलकाता चेन्नई हवाई अड्डा

प्रधानाचार्य,
नागर वमानन प्रशक्षण कालेज
बमरौली, इलाहाबाद
निदेशक,
भारतीय वमानन अकादमी,
नई दिल्ली

वषय: निगमत सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

यह देखा गया है क सीएसआर नियमों के तहत गतिवधियों की स्वीकार्यता का वश्लेषण कए बिना ही स्टेशनों के प्रस्ताव निगमत मुख्यालय में प्राप्त हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय और प्रयासों की बर्बादी होती है। इसके द्वारा पुनः सूचित कया जाता है क सीएसआर में कंपनी अधिनियम, 2003 की धारा 135 की अनुसूची VII और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण से संबंधित गतिवधियों की परियोजनाएं या कार्यक्रम ही शामिल हैं। हालांकि कंपनी द्वारा अपने कारोबार की सामान्य कार्यप्रणाली के अनुसरण में की गई गतिवधियां सीएसआर के रूप में योग्य नहीं मानी जाएंगी। कोई भी गतिवध जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ देती हो, वे भी सीएसआर के रूप में योग्य नहीं होंगी। 27 फरवरी, 2014 की कॉर्पोरेट मामलों की अधिसूचना मंत्रालय द्वारा जारी अनुसूची-VII में संशोधन की एक प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न है।

आपसे अनुरोध है क प्रस्तावों को निगमत मुख्यालय को अग्रेषत करने से पूर्व कंपनी अधिनियम, 2003 धारा 135 की अनुसूची VII, तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण के अनुसार वश्लेषण कर लया जाए।

(जी के चौकयाल)

कार्यपालक निदेशक (पीएमक्यूए)-सीएसआर

प्रतिलप:

1. सदस्य (योजना)
2. मप्र (सीपीएमएस) सीएसआर

संलग्नक : यथोपरि।